न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी डॉ.लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या– 14/2019
वाद प्रस्तुति दिनांक–14.03.2019
निर्णय दिनांक–13.02.2020

1. श्योराज पुत्र हरिनारायण जाति गूजर निवासी ग्राम अब्बासनगर चक नं. 1 तहसील–पीपलू जिला–टोंक (राज0)
2. नाथू लाल पुत्र हरिनारायण जाति गूजर निवासी ग्राम अब्बासनगर चक नं. 1 तहसील–पीपलू जिला–टोंक (राज0)

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. तहसीलदार, पीपलू जिला–टोंक (राज.)
2. भू0 अभिलेख निरीक्षक लोहरवाडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
3. हल्का पटवारी अनवरनगर उर्फ भूरावाली

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 131, 136 एल0आर0 एक्ट

अधिवक्ता वादी– श्री एन.के.शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीगण–पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक–13.02.2020

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि आराजी ख0न0 23/2 रकबा 10 बिस्वा, वाके ग्राम अब्बासनगर चक नं. 1 पटवार हल्का अनवरनगर उर्फ भूरावाली तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं। जिसके पूर्व ख0न0 23/1 रकबा 10 बिस्वा है। जो प्रार्थीगण को दिनांक 12.07.2002 को आवंटन हुआ था तब से लेकर आज दिनांक तक प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण को जब उपरोक्त भूमि आवंटन की गई थी उस समय प्रार्थी को ख0न0 23/1 रकबा 10 बिस्वा दिया गया था तथा सुपूर्दगी नामा व नक्शा ट्रेस में भी तरमीम ख0न0 23/1 के रूप में की गई थी तथा प्रार्थीगण को नक्शा ट्रेस व सुपूर्दगी नामे के अनुसार भूमि संभलायी गई थी उसी स्थान पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन बाद में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की भूमि ख0न0 23/1 के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी न्यायालय के आदेश के ख0न0 23/2 दर्ज कर दिया गया इस कारण प्रार्थी की भूमि का नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं किया जा रहा हैं। जिसके कारण प्रार्थीगण को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड रहा हैं तथा प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 23/1 का राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन कर ख0न0 23/2 अंकित कर दिया गया तथा जो नक्शा ट्रेस प्रार्थीगण को आवंटन के समय सुपूर्द किया गया था उसमें ख0न0 23/1 ही अंकित हैं जिसके कारण राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी को दिये गये नक्शे में ख0न0 भिन्न–भिन्न हो गया हैं। जिसके कारण प्रार्थीगण की भूमि की नक्शा शीट में तरमीम नहीं

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

की जा रही हैं। इस कारण ख0न0 को दुरूस्त किया जाकर नक्शा शीट में तरमीम किया जाने का निवेदन किया हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई तथा अप्रार्थीगण से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थीगण की और से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक व तथ्यात्मक रिपोर्ट मय जवाब पेश कर निवेदन किया की आराजी ख0न0 23 में सन् 2002 में आवंटन से ख0न0 23/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि आवंटन होकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड की गई। जो वक्त दोराने जमाबंदी के ख0न0 23/1 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा व ख0न0 23/2 रकबा 10 बिस्वा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं जो सही हैं। पूर्व सुपूर्दगीनामानुसार नक्शा शीट में ख0न0 23/1 जो दर्ज किया हुआ है जो 10 बिस्वा भूमि नक्शें में हैं। अतः नक्शानुसार नक्शें मे ख0न0 23/1 रकबा 10 बिस्वा दर्ज पूर्व के अनुसार हैं। जिसका वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 23/2 रकबा 10 बिस्वा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। अतः ख0न0 23/2 के स्थान पर ख0न0 23/1 व ख0न0 23/1 के स्थान पर ख0न0 23/2 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित हैं।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि प्रार्थीगण को आवंटित की गई भूमि ख0न0 23/1 रकबा 10 बिस्वा का बिना किसी आदेश के राजस्व कर्मचारियों ने सुपूर्दगीनामा के समय दी गई नक्शा ट्रेस के विपरित जाकर ख0न0 23/1 के स्थान पर ख0न0 23/2 अंकित कर दिया गया जिसके कारण प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 23/1 की नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं की जा रही हैं। इस कारण ख0न0 23/2 रकबा 10 बिस्वा के स्थान पर ख0न0 23/1 रकबा 10 बिस्वा किया जावें तथा इसी अनुरूप नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाने का आदेश फरमावें। अप्रार्थीगण ने उक्त ख0न0 को परिवर्तन करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण भूमि आराजी ख0न0 23/2 रकबा 10 बिस्वा के स्थान पर 23/1 रकबा 10 बिस्वा व ख0न0 23/1 के स्थान पर ख0न0 23/2 वाके ग्राम अब्बासनगर चक नं. 1 किया जाकर तरमीम करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार, पीपलू निर्णय अनुसार पालना करें।

निर्णय आज दिनांक–13.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(डॉ.लक्ष्मीनारायण बुनकर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner